# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
# जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
## राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 42/2018 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. मंजुदेवी पत्नी ख्यालीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**प्रार्थीया**

**बनाम**

1. मांगीलाल पिता जगन्नाथ ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. मदनलाल पिता जगन्नाथ ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. राजमल पिता सुवालाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. रामचन्द्र पिता उदा ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. रामेश्वर पिता उदा ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. सुवालाल पिता जगरूप ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. गोपीलाल पिता जगरूप ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. सोहनलाल पिता जगरूप ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीया

## निर्णय

दिनांक 20.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट नाथडियास मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1915/1645 रकबा 0.31 व आराजी संख्या 1916/1645 रकबा 0.30 है0 भूमि खाता संख्या 113 व 178 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरमीयान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थीया को घास आदि काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थीया ने दिनांक 30.04.2018 को विपक्षीगणों को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थीया की आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 42/2018 प्रार्थनापत्र
मंजूदेवी बनाम मांगीलाल वगै0

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी एक से तीन और पांच से आठ बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या चार के खिलाफ प्रार्थीया के अधिवक्ता को कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः

## आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1915/1645 रकबा 0.31 व आराजी संख्या 1916/1645 रकबा 0.30 है0 भूमि खाता संख्या 113 व 178 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा